भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 93

09 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी बेघर लोगों और झुग्गीवासियों के लिए आवास

93 श्री नीरज शेखरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान 31 जनवरी, 2026 तक, शहरी बेघर लोगों और झुग्गीवासियों को घर उपलब्ध कराने के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार, योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए घरों और विकसित की गई झुग्गियों की संख्या का राज्य-वार, योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

" शहरी बेघर लोगों और झुग्गीवासियों के लिए आवास" के संबंध में दिनांक 09.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93* के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, बेघरों सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित सभी योजनाएं अपने-अपने क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालॉकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में शहरी बेघरों और स्लमवासियों सहित सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख आवासों सहित कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 114.84 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 22.01.2026 तक 97.02 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/ देश भर में शहरी बेघर और स्लमवासियों सहित लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। स्वीकृत आवासों में से 29 लाख से अधिक लाभार्थी स्लम में रहने वाले हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार स्लमवासियों सहित लाभार्थियों हेतु स्वीकृति, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता और पीएमएवाई-यू एवं पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान 31.01.2026 तक स्वीकृति,

पूर्ण और सौंपे गए आवासों का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत 'शहरी बेघरों के लिए आश्रयगृह' के लिए सहायता प्रदान की है। यह शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं से

युक्त स्थायी आश्रय प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत, 1.41 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए स्थान वाले 1,995 आश्रयगृहों के लिए सहायता प्रदान की गई है। आश्रयगृहों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

दिनांक 09.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93* में संदर्भित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्लमवासियों सहित लाभार्थियों के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 31.01.2026 तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंद्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति (करोड़ रूपये में)											
		स्वीकृत				जारी की गई*				उपयोग की गई**			
		2022-23	2023-24	2024-25	वर्तमान वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25	वर्तमान वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25	वर्तमान वर्ष
1	आंध्र प्रदेश	2,950.7	752.2	468.8	141.8	6,098.8	5,154.6	-	244.5	6,108.9	2,957.0	1,372.6	718.7
2	बिहार	54.9	194.9	1,500.2	803.5	227.9	597.1	169.5	1,114.4	513.9	215.2	554.9	713.2
3	छत्तीसगढ़	614.4	52.7	-	364.0	698.4	483.1	177.8	129.5	457.9	642.1	299.0	80.3
4	गोवा	8.6	-	-	0.1	8.6	-	-	0.1	8.8	0.1	-	0.1
5	गुजरात	3,657.7	172.4	-	637.3	3,988.0	655.8	-	517.1	4,319.0	318.3	372.0	170.2
6	हरियाणा	125.8	-	228.8	35.1	125.8	199.9	-	65.5	163.2	127.5	43.9	2.5
7	हिमाचल प्रदेश	20.5	5.3	-	30.7	19.4	9.6	9.6	15.3	39.1	11.8	11.2	5.8
8	झारखंड	109.7	-	-	212.3	311.3	158.4	1.5	226.5	356.0	272.3	250.4	46.7
9	कर्नाटक	304.7	230.9	-	2.2	1,141.1	618.0	6.2	602.5	545.4	505.3	739.4	110.8
10	केरल	253.8	116.3	-	0.6	241.6	225.5	83.7	122.8	415.9	192.3	163.8	101.7
11	मध्य प्रदेश	1,311.4	142.5	-	769.8	2,740.0	1,280.3	270.3	318.7	2,461.7	1,415.7	606.7	334.9
12	महाराष्ट्र	3,007.9	406.7	-	1,158.2	3,851.6	1,542.9	313.6	591.0	3,850.5	1,031.6	991.3	766.1
13	ओडिशा	31.0	281.5	79.6	228.2	295.4	293.4	26.5	284.0	388.1	288.6	139.9	0.3
14	पंजाब	451.7	-	-	427.6	349.9	179.3	123.2	243.7	308.0	125.0	200.2	4.8
15	राजस्थान	1,551.8	529.9	357.0	394.1	733.7	683.2	223.5	674.7	840.4	450.4	511.7	332.2
16	तमिलनाडु	624.8	152.7	-	165.2	722.2	877.6	222.1	403.8	863.5	665.8	482.5	171.6
17	तेलंगाना	193.9	-	1,705.2	1.7	193.9	485.0	18.7	236.0	192.8	-	469.4	139.9
18	उत्तर प्रदेश	2,061.2	2,351.5	834.4	4,029.5	2,290.3	4,451.4	1,129.9	1,521.7	3,298.1	4,004.5	1,881.3	147.6
19	उत्तराखंड	200.6	44.1	-	54.5	172.7	130.8	62.1	84.5	177.0	117.5	130.5	41.2
20	पश्चिम बंगाल	309.1	-	-	11.6	1,138.2	945.3	515.7	727.9	560.0	743.6	898.2	1,037.9
उप-योग (राज्य)		**17,844.1**	**5,433.6**	**5,174.0**	**9,468.0**	**25,348.8**	**18,971.2**	**3,353.9**	**8,124.2**	**25,868.4**	**14,084.4**	**10,118.9**	**4,926.5**
21	अरुणाचल प्रदेश	0.2	-	118.8	-	0.2	14.8	5.0	35.0	4.2	-	14.8	5.0

22	असम	146.3	203.1	-	390.6	395.4	395.9	272.2	262.6	231.9	449.4	365.9	155.3
23	मणिपुर	0.5	-	-	79.3	98.8	36.0	53.7	56.7	116.3	106.7	54.2	0.0
24	मेघालय	0.1	-	-	52.0	4.6	13.6	5.5	28.9	9.0	-	8.3	0.5
25	मिजोरम	5.0	-	-	10.5	163.1	43.4	65.2	42.9	74.3	0.4	236.4	55.2
26	नागालैंड	0.0	-	-	-	0.0	86.4	25.0	25.0	67.8	73.1	45.9	58.4
27	सिक्किम	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-
28	त्रिपुरा	69.2	71.9	-	54.2	58.7	92.8	48.4	70.7	93.7	189.1	34.9	0.0
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)		**222.0**	**275.0**	**118.8**	**586.6**	**721.5**	**682.8**	**475.0**	**521.9**	**597.9**	**818.6**	**760.5**	**274.5**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.0	-	-	-	1.0	-	-	0.8	0.0	-	0.9	0.0
30	चंडीगढ़	3.2	-	-	0.1	3.2	-	-	0.1	3.1	-	-	0.1
31	दमन और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	33.5	-	-	1.4	33.5	-	4.3	5.4	33.5	-	-	1.4
32	दिल्ली	66.5	-	-	7.4	66.5	-	-	7.4	66.5	-	-	7.4
33	जम्मू और कश्मीर	6.4	55.2	28.6	28.2	79.3	40.0	40.0	11.3	75.9	86.3	24.8	1.7
34	लद्दाख	0.1	-	-	3.8	0.1	1.8	1.2	1.5	5.3	-	4.1	-
35	पुडुचेरी	9.7	27.2	10.0	40.4	23.5	31.1	9.5	20.2	28.6	18.7	27.1	0.1
उप-योग (यूटी)		**119.4**	**82.3**	**38.7**	**81.2**	**207.0**	**72.9**	**55.0**	**46.7**	**213.0**	**105.0**	**57.0**	**10.7**
कुल योग		**18,185.6**	**5,790.9**	**5,331.4**	**10,135.8**	**26,277.4**	**19,726.9**	**3,883.8**	**8,692.7**	**26,679.2**	**15,007.9**	**10,936.3**	**5,211.7**

* इसमें पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत आवासों के लिए वर्ष के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता शामिल है।

** इसमें पिछले वर्षों के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता में से वर्ष के दौरान उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता शामिल है

दिनांक 09.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93* में संदर्भित अनुलग्नक-II

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति, पूर्ण और सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)								
		स्वीकृत			निर्माण कार्य पूरा किया गया*			सौंपे गए**		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	1,92,669	50,144	31,252	2,86,987	2,18,499	96,415	2,95,316	2,79,114	1,17,943
2	बिहार	2,206	12,993	1,00,014	21,586	11,114	59,464	21,586	11,114	59,413
3	छत्तीसगढ़	36,936	3,515	-	35,926	43,385	34,744	37,125	37,739	38,350
4	गोवा	330	-	-	331	-	1	331	-	1
5	गुजरात	1,42,005	11,496	-	1,99,047	28,953	39,297	1,86,633	37,157	44,127
6	हरियाणा	5,142	-	15,256	13,508	3,677	2,937	13,508	3,677	2,921
7	हिमाचल प्रदेश	1,117	355	-	2,155	1,003	1,075	2,155	951	1,109
8	झारखंड	6,625	-	-	15,774	17,127	17,644	14,894	16,035	17,251
9	कर्नाटक	13,509	15,391	-	43,033	30,307	52,516	27,962	15,012	56,171
10	केरल	13,877	7,752	-	14,823	7,349	12,692	14,787	7,508	12,748
11	मध्य प्रदेश	66,380	9,502	-	1,75,161	1,11,350	88,269	1,76,673	1,10,375	90,610
12	महाराष्ट्र	1,20,775	27,114	-	1,81,298	38,022	1,32,919	1,59,796	43,510	1,54,839
13	ओडिशा	1,325	18,769	5,304	27,740	12,785	18,989	27,487	11,538	19,522
14	पंजाब	24,284	-	-	23,124	8,926	15,272	23,124	9,050	15,022
15	राजस्थान	86,107	35,325	23,799	35,470	10,253	42,746	36,465	12,267	42,338
16	तमिलनाडु	31,713	10,178	-	84,224	40,285	42,962	81,584	41,948	48,291
17	तेलंगाना	7,751	-	1,13,681	12,973	1,504	3,616	17,096	10,055	56,874
18	उत्तर प्रदेश	1,25,420	1,56,763	55,625	2,06,465	1,99,690	2,32,572	2,00,267	1,85,729	2,27,908
19	उत्तराखंड	11,681	2,941	-	4,329	4,343	6,901	4,329	4,311	5,396
20	पश्चिम बंगाल	12,264	-	-	81,647	50,318	64,814	81,647	50,222	64,670
उप-योग (राज्य)		**9,02,116**	**3,62,238**	**3,44,931**	**14,65,601**	**8,38,890**	**9,65,845**	**14,22,765**	**8,87,312**	**10,75,504**
21	अरुणाचल प्रदेश	8	-	5,278	3,193	1,498	641	1,657	1,498	961
22	असम	9,526	13,542	-	36,483	19,542	24,134	36,483	19,542	24,134
23	मणिपुर	21	-	-	5,690	2,934	3,085	5,690	2,934	3,085
24	मेघालय	4	-	-	430	144	678	430	144	678
25	मिजोरम	270	-	-	1,518	1,927	16,571	1,518	1,927	16,571
26	नागालैंड	1	-	-	6,427	7,344	9,207	6,427	7,344	9,207
27	सिक्किम	26	-	-	26	-	-	26	-	-
28	त्रिपुरा	4,444	4,790	-	7,369	8,616	5,533	7,369	8,689	5,533
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)		**14,300**	**18,332**	**5,278**	**61,136**	**42,005**	**59,849**	**59,600**	**42,078**	**60,169**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-	-	3	-	-	3	-	-
30	चंडीगढ़	130	-	-	130	-	-	130	-	-
31	दमन और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1,342	-	-	2,325	469	270	1,463	101	1,171
32	दिल्ली	2,669	-	-	2,669	-	-	2,669	-	-
33	जम्मू और कश्मीर	266	3,677	1,272	6,622	3,626	9,127	6,622	3,626	9,127
34	लद्दाख	3	-	-	106	139	89	106	139	89
35	पुडुचेरी	457	1,810	446	2,032	1,270	1,628	2,032	1,270	1,628
उप-योग (यूटी)		**4,868**	**5,487**	**1,718**	**13,887**	**5,504**	**11,114**	**13,025**	**5,136**	**12,015**
कुल योग		**9,21,284**	**3,86,057**	**3,51,927**	**15,40,624**	**8,86,399**	**10,36,808**	**14,95,390**	**9,34,526**	**11,47,688**

* इसमें उन वर्ष में पूरे किए गए आवास शामिल हैं जिन्हें पिछले वर्षों में स्वीकृत किया गया था।

** वर्ष में सौंपे गए आवास शामिल हैं जो पिछले वर्षों में पूरे हुए थे।

दिनांक 09.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93* में संदर्भित अनुलग्नक-III

आश्रयगृहों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची (30.09.2024 तक)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	चल रहे आश्रय गृह
1	आंध्र प्रदेश	95
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	6
4	बिहार	111
5	छत्तीसगढ़	47
6	गोवा	3
7	गुजरात	78
8	हरियाणा	54
9	हिमाचल प्रदेश	20
10	जम्मू और कश्मीर	2
11	झारखंड	57
12	कर्नाटक	108
13	केरल	27
14	मध्य प्रदेश	118
15	महाराष्ट्र	99
16	मणिपुर	0
17	मेघालय	4
18	मिजोरम	96
19	नागालैंड	3
20	ओडिशा	46
21	पंजाब	30
22	राजस्थान	237
23	तमिलनाडु	276
24	तेलंगाना	45
25	त्रिपुरा	9
26	उत्तर प्रदेश	145
27	उत्तराखंड	13
28	पश्चिम बंगाल	70
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
30	चंडीगढ़	1
31	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0
32	दिल्ली	193
33	पुडुचेरी	2
34	लद्दाख	0
कुल		1,995
